

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 121/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 पोखर पिता कल्याण खटीक उम्र बयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
— (प्राथी)

बनाम

- 1 राजेन्द्र पिता काना नाई उम्र बयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 शिवजीराम पिता कन्हैयालाल नाई उम्र बयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 नर्मदा पतिन सूरजकरण जाट उम्र बयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाड़ा

— (अप्राथीगण)

उपस्थित-

प्राथी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.05.2023

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 14.07.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बांसा तहसील तस्वारिया बांसा पटवार मण्डल तस्वारिया बांसा भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 331 के आ.न. 1942, 2057, 207, 3653, 3654, 3660 किता 6 रकबा 2.14 हेक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/साहखातेदारान हैं। प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा विड नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वाजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्राथी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्राथीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्राथी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्राथी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर बांसा तहसील तस्वारिया बांसा पटवार मण्डल तस्वारिया बांसा भू.अ. नि. बांसेडा तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 331 के आ.न. 1942, 2057, 207, 3653, 3654, 3660 किता 6 रकबा 2.14 हेक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बांसेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीगणों को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्ताकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला, जिला भीलवाड़ा